न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर(राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**शिव प्रसाद तम्बोली** (आर.जे.एस.) जिला न्यायाधीश संवर्ग
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	:	**01/2018**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	**244/17 आरक्षी केन्द्र – कोतवाली फतेहपुर**
सेशन प्रकरण संख्या	:	**12/2017 राज्य बनाम राशिद**
अपराध अन्तर्गत धारा	:	376 भारतीय दण्ड संहिता।

राशिद पुत्र अबरार, जाति काजी मुसलमान, निवासी वार्ड नं. 04, मोहल्ला मोमीनपुरा, फतेहपुर, पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर, जिला–सीकर(राज.)

. . . . पार्थी/अभियुक्त

–:: बनाम ::–

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक।

. . . . विपक्षी/अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं.

उपस्थिति :–
(1) श्री विजय सिंह शेखावत विद्वान् अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
(2) विद्वान् अपर लोक अभियोजक – राजस्थान राज्य की ओर से।

–:: आदेश ::–

दिनांकः 03.01.2018

1. प्रार्थी–अभियुक्त राशिद की ओर से यह प्रार्थना–पत्र बाबत् जमानत अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं., जरिये अधिवक्ता श्री विजय सिंह शेखावत एड. पेश किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। सम्बन्धित प्रकरण पत्रावली तलब की गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.11.2017 को अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली फतेहपुर पर उपस्थित होकर एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि मेरा निकाह आसिफ काजी निवासी वार्ड नं. 5 के साथ हुआ था, लेकिन निकाह के कुछ समय बाद पति–पत्नी के अनबन पर मैं अपने पीहर आकर रहने लग गई, इस दौरान राशिद पुत्र अबरार मेरे साथ सहानुभूति जताना शुरू कर दिया तथा प्रार्थीनी को पति आसिफ से तलाक लेने के लिए मोबाईल पर उकसाना शुरू कर दिया कि आसिफ से तलाक लेते ही वह उससे निकाह कर लेगा तथा झांसे में लेकर प्रार्थीनी के आपत्तिजनक फोटो मोबाईल पर ले ली तथा झांसे में लेकर आपत्तिजनक फोटो दिखाकर दबाव बनाकर कई महीनों से देहशोषण करता आ रहा है। प्रार्थीनी आसिफ से दिनांक 24.10.2017 को तलाक लेकर निकाह करने के लिए राशिद से कहा तो मना कर दिया और बोला कि मैंने तो निकाह करने का झूठा झांसा देकर दबाव बनाकर शरीरिक शोषण किया। इससे समाज में मेरी बदनामी हुई। वगैरह आशय की लिखित रिपोर्ट पर प्रस्तुत सूचना क्रमांक 244/2017 अन्तर्गत धारा 376 भा.दं.सं. पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का बहस के दौरान तर्क रहा कि अभियोक्त्री ने पूर्व में भी अपने पति को ब्लेकमेलिंग करते हुए उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था और बाद में तलाक दोनों के बीच में हुआ था। उनका यह भी तर्क रहा कि अभियोक्त्री झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की आदी है और जो आक्षेप प्रार्थी–अभियुक्त पर लगाया है, वह झूठा आरोप है, जबकि प्रार्थी–अभियुक्त शादीशुदा व्यक्ति है और उसके तीन बच्चे हैं और वह अपने परिवार में संयुक्त रूप से रिहायश करता है, ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर देहशोषण करने का आरोप गलत है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 23.11.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और उसको जमानत का लाभ नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी–अभियुक्त के परिवार के समक्ष भूखों मरने की नोबत आ सकती है, क्योंकि उसके बच्चे व वृद्ध माता–पिता प्रार्थी–अभियुक्त पर ही आश्रित हैं और प्रार्थी–अभियुक्त के अलावा अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा कि आरोप पत्र भी न्यायालय के समक्ष पेश हो चुका है और पत्रावली कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभी आने में समय लगेगा। प्रकरण के विचारण में भी समय लगेगा और अन्य तर्क वही उठाएं हैं जो जमानत दरख्वास्त में वर्णित है और अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत सुविधा का लाभ दिया जावे।

5. दूसरी ओर विद्वान् अपर लोक अभियोजक का मौखिक तर्क रहा है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर देहशोषण किया है और बाद में शादी करने से मना कर दिया है जो कि गम्भीर प्रकृति का अपराध है। इसलिए मुलजिम का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन किया। प्रकरण पत्रावली का आद्योपांत अनुशीलन एवं परिशीलन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.12.2017 को भा.दं.सं. की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए पेश हुआ है और तदोपरान्त प्रकरण कमिट होकर दिनांक 18.12.2017 को इस न्यायालय को प्राप्त हो चुका है एवं पत्रावली इस न्यायालय में बहस चार्ज हेतु दिनांक 22.01.2018 के लिए नियत है।

7. अभियोक्त्री ने अपनी लिखित रिपोर्ट व बयान 161 द.प्र.सं. में यह बताया है कि ''*पांच वर्ष पहले मेरा विवाह आसिफ के साथ हुआ था तथा डेढ वर्ष पहले मेरा मुकलावा किया था। इसके बाद मैं ससुराल आने–जाने लग गई थी। मुकलावा के दो माह बाद मेरा व मेरे पति आसिफ के पति–पत्नी के सम्बन्ध को लेकर अनबन हो गई और उसके बाद 5 माह पहले मैंने मेरे पति आसिफ के खिलाफ दहेज का मुकदमा किया था। मुकदमा में राजीनामा कर लिया तथा आसिफ मुझे ग्राम टांई तहसील मण्डावा झुन्झुनूं में अपनी बहन के घर ले गया तथा हमारे सम्बन्ध अच्छे थे। राशिद मुसलमान दो साल से मेरे माता–पिता के घर आता था*

तो मेरी और राशिद की बातचीत होने लग गई तो राशिद मुझे बोला मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं उसको प्यार करने से मना कर दिया। उसके बाद मुझे राशिद की पत्नी शहनाज ने अपने बच्चों के हाथ अपने घर बुलाया तथा कहा कि राशिद मुझे मारपीट करता है, तू इससे प्यार करने की हां कर लो, मुझे मारपीट नहीं करे तो मैं राशिद से प्यार करने के लिए सहमत हो गई तो मेरे राशिद के साथ दो साल से अवैध सम्बन्ध थे। अब मैं 5 माह पहले मेरे पति आसिफ को साथ लाने के बाद राशिद मुझे मेरे फोन पर फोन कर बातचीत करता कि तू आसिफ से तलाक ले लो, मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं मना किया तो राशिद बोला मेरे पास तेरी अश्लील फोटो है, नेट पर डालूंगा, नहीं तो आसिफ से तलाक ले लो, मैं तेरे से शादी करूंगा। जब मैं राशिद के कहने पर मेरे पति आसिफ से दिनांक 24.10.2017 को तलाक ले लिया तथा राशिद अपने ससुराल रहता है, उसके पास गई तो कहा कि मैं तलाक ले ली, अब मेरे से शादी कर तो राशिद इन्कार हो गया, बोला मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी पत्नी, बच्चों से साथ ही रहूंगा तो मैं माता-पिता के पास फतेहपुर आ गई। उक्त राशिद मुझे झूठा शादी करने का झांसा देकर मेरे पति से तलाक दिलवा दी तथा मुझे झूठा शादी करने का झांसा देकर मेरे साथ में अवैध रूप से शारीरिक सम्बन्ध कर मेरा यौन शोषण किया है।'' मेडिकल बोर्ड ने अभियोक्त्री के बारे में चिकित्सकीय राय दी है, ''That it cannot be said that Farzana D/o Idrish age-22 years kaji(Muslim) has not undergone the act of sexual intercourse. However final opinion regarding the matter will be give after report from FSL Jaipur.'' इस प्रकार अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर उसका यौनशोषण किया गया है जो कि एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रार्थी-अभियुक्त के कहने पर अभियोक्त्री ने अपने पति से भी तलाक ले लिया है और पति से तलाक लेने के बाद जब अभियोक्त्री ने प्रार्थी-अभियुक्त को उससे निकाह करने के लिए कहा तो प्रार्थी-अभियुक्त ने इन्कार कर दिया। इसलिए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी या मत व्यक्त किए बिना सभी तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मेरी विनम्र राय में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

8. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **<u>राशिद पुत्र अबरार</u>** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

{शिव प्रसाद तम्बोली}
अपर सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर शेखावाटी, जिला-सीकर(राज.)

9. आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{शिव प्रसाद तम्बोली}
अपर सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर शेखावाटी, जिला-सीकर(राज.)